छठवां तल, शक्ति भवन विस्तार,
14—अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522—2288656 फैक्स : 0522—2288655

संख्या : 2152 / अ—07 / टी0जी0—2 / वरिष्ठता सूची / 12 दिनांक : 26 / 09 / 2012

1. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0
मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल / पूर्वांचल
लखनऊ / आगरा / मेरठ / वाराणसी, केस्को कानपुर।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0ट्रांस0कार्पो0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषय : टी0जी0—2 / टी0जी0—1 / केबिल ज्वाइन्टर की संयुक्त वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या—1271 / अनु0—7 / मु0अ0(ज0वि0) दिनांक 20.06.12 के द्वारा टी0जी0—2 / टी0जी0—1 / केबिल ज्वाइन्टर पदधारकों की अन्तिम संयुक्त वरिष्ठता सूची घोषित कर अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) के पद पर चयन हेतु विद्युत सेवा आयोग को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी तथा उनके स्तर से कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गयी थी, परन्तु कतिपय कार्मिकों / संगठनों से प्राप्त प्रत्यावेदनों के परीक्षणोंपरान्त यह परिलक्षित हुआ है कि उपरोक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने पर विधिक अड़चनें उत्पन्न हो सकती है। इस तथ्य के दृष्टिगत प्रकरण पर उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में विद्युत सेवा आयोग द्वारा किये जा रहे चयन सम्बन्धी कार्यवाही को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है एवं उपर्युक्त वरिष्ठता सूची को अनन्तिम मानते हुए www.uppcl.org की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिस पर सम्बन्धित कार्मिकों से दिनांक 25.10.2012 तक आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी है।

अतः उक्त के दृष्टिगत अनुरोध **है कि वह अपने स्तर से अपने अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित करें कि** वेबसाइट पर उपलब्ध **टी0जी0—2 / टी0जी0—1 / केबिल ज्वाइन्टर की संयुक्त वरिष्ठता सूची में अंकित विवरण से अपने अधीनस्थ सभी प्रश्नगत कार्मिकों को अवगत कराते हुए वरिष्ठता सूची में अंकित प्रविष्टियाँ त्रुटि पूर्ण / अपूर्ण रहने अथवा किसी कार्मिक का नाम छूट जाने पर सम्बन्धित कार्मिक से प्रत्यावेदन प्राप्त कर उसे सेवा पुस्तिका इत्यादि से मिलान करने के उपरान्त वरिष्ठता सूची के प्रारूप में उल्लिखित सभी प्रविष्ठियों को अंकित करते हुए वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों सहित नियंत्रक अधिकारी दिनांक 25.10.2012 सायं 5.00 बजे तक इस कार्यालय में अवश्यमेव प्राप्त कराना सुनिश्चित करें, ताकि उनके प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जा सके। डिप्लोमा धारी टी0जी0—2 कार्मिकों के डिप्लोमा प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ भी उनके नियंत्रक अधिकारी उपरोक्त तिथि तक आवश्यक उपलब्ध करा दे। उन्हें यह भी विशेष रूप से अवगत करा दिया जाये कि इस तिथि 25.10.2012 के बाद प्राप्त किसी भी कार्मिक के प्रत्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं इस तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण के पश्चात् संयुक्त वरिष्ठता सूची घोषित कर दी जाएगी। टिप्पणी कालम में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारियों से सेवा पुस्तिका / मूल अभिलेखों की सत्यापित प्रतियों सहित पुष्टिकारक वांछित सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें।**

इसे अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण समझें।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता (जल—विद्युत)

संख्या : 2152 / अनु0—07 / तद्दिनाँक 26.09.2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता (यूनीफाइड), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि टी0जी0—2 कार्मिकों की पुरानी वरिष्ठता सूचियों को हटाते हुये संलग्न वरिष्ठता सूची को कारपोरेशन की वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करें।

बी.डी. : सक्सेना

(एस0पी0 सिंह) 26/9/12
मुख्य अभियन्ता (जल—विद्युत)